रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 9, 2003/आषाढ़ 18, 1925
No. 311] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 9, 2003/ASADHA 18, 1925

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

अधिसूचना

मुम्बई, 8 जनवरी, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) (संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 531(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा 3 के खंड (घ), धारा 47 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।

(ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 के विनियम 5 के उप विनियम (5) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, नामतः :—

"(6) भारत स्थित भारतीय कम्पनियां भारत से बाहर की अपनी शाखाओं के कर्मचारियों को निजी प्रयोजन हेतु विदेशी मुद्रा ऋण दे सकती हैं बशर्ते;

उधारदाता की स्टाफ कल्याण योजना/ऋण नियमावली के अन्तर्गत और भारत तथा विदेश में निवासी स्टाफ को लागू अन्य नियम एवं शर्तों के अनुसार ऋण निजी प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा ऋण दी जाएगी,"

[सं. फेमा. 80/2003-आरबी]

कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
(Exchange Control Department)
NOTIFICATION

Mumbai, the 8th January, 2003

Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2003

G. S. R. 531(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (3) of Section 6 and Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA.3/2000-RB dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000, namely:—

1. Short title and commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 in Regulation 5, after sub-Regulation (5), the following Sub-Regulation shall be inserted, namely:—

"(6) Indian companies in India may grant loans in foreign currency to the employees of their branches outside India for personal purposes provided that the loan shall be granted for personal purposes in accordance with the lender's Staff Welfare Scheme/Loan Rules and other terms and conditions as applicable to its staff resident in India and abroad."

[No. FEMA 80/2003.RB]

K. J. UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 8 जनवरी, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाए) (संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 532(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 के उपखंड (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 55/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) विनियमावली, 2000 में संशोधन करता है, नामतः,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।

(ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(अ) अधिसूचना की अनुसूची II के खंड (1) में,

(क) उपखंड (क) के बदले निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं,

"हेज़ का मूल्य निहित ऋण अथवा ईक्विटी लिखतों के बाजार मूल्य से अधिक न हो परन्तु एक बार बुक किया गया वायदा संविदा मूल परिपक्वता तक, प्रतिभूति की बिक्री के अलावा अन्य कारणों से निहित पोर्टफोलियो का मूल्य कम हो जाने के बावजूद, जारी रखने की अनुमति होगी।

(ख) उपखंड (ख) निरस्त किया जाएगा और बाद के उपखंड (ग) (घ) और (ड) को क्रमशः (ख), (ग) और (घ) क्रमांक दिया जाएगा,

आ. अनुसूची II के खंड (3) के बदले निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएं :

"प्राधिकृत व्यापारी भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों को जनवरी 1, 1993 के बाद किए गए निवेशों की रक्षा के लिए वायदा संविदा का प्रस्ताव दे सकते हैं, भारत में जोखिम के सत्यापन के अधीन। एक बार निरस्त वायदा संविदा दुबारा बुक किए जाने की पात्र नहीं होगी।"

[सं. फेमा. 81/2003-आरबी]

कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th January, 2003

Foreign Exchange Management (Foreign exchange derivative contracts) (Amendment) Regulations, 2003

G. S. R. 532 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (Act 42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign exchange derivative contracts) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely: —

2. Short title and commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

3. Amendment of the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000,

A. In Clause (1) of Schedule II to the Notification,

(a) Sub-clause (a) shall be substituted by the following words :

"the value of the hedge does not exceed the market value of the underlying debt or equity instruments, provided forward contracts once booked shall be allowed to continue to the original maturity even if the value of the underlying portfolio shrinks, for reasons other than sale of securities".

(b) Sub-clause (b) shall be deleted and the subsequent sub-clauses (c) (d) and (e) shall be renumbered as (b), (c) and (d) respectively.

B. Clause (3) of Schedule II shall be substituted by the following words :

"Authorised dealers may offer forward contracts to persons resident outside India to hedge the investments made in India since January 1, 1993, subject to verification of the exposure in India. These forward contracts once cancelled are not eligible to be rebooked."

[No. FEMA 81/2003-RB]

K. J. UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 10 जनवरी, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का उधार लेना अथवा देना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 533(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा 3 के खंड (घ), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत:,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का उधार लेना अथवा देना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।

(ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 के विनियम 4 के उप विनियम (i) में खण्ड (vi) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, नामत: :—

"(VII) प्राधिकृत व्यापारी भारत में एफसीएनआर (आ) खाते में धारित निधियों के आधार पर केवल खाताधारी को इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी निदेशों के अधीन विदेशी मुद्रा ऋण दे सकता है।"

[सं. फेमा. 82/2003-आरबी]

कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th January, 2003

Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Second Amendment) Regulations, 2003

G. S. R. 533(E).— In exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-section (3) of Section 6, Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No.FEMA 3/2000 RB dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely:—

1. **Short title and commencement**

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Second Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of the Regulations**

In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000, in Regulation 4, in Sub-regulation (1) after Clause (vi), the following clause shall be added, namely:—

"(vii) An authorised dealer may grant foreign currency loans in India against the security of funds held in FCNR (B) account to the account holder only, subject to the guidelines issued by the Reserve Bank in this regard".

[No. FEMA 82/2003-RB]

K. J. UDESHI, Executive Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.